राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः–प. 13(1)ल.प्र./विविध/गृह–10/17 जयपुर, दिनांक 9.2.2017

आदेश

यह कि राज्य सरकार ने राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2017 में वापस लिये जाने का निर्णय लिया है, जिनमें :–

1. दिनांक 01.04.2013 से पूर्व चालान पेश कर दिया गया हो;
2. अभियुक्त के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम में पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हो तथा
3. बरामदगी अधिकतम 5 लीटर अवैध शराब की हो।

उक्त प्रकृति के प्रकरण जिन न्यायालयों में लम्बित है, उन न्यायालयों में कार्यरत अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी प्रकरण को वापस लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करे।

(वित्त विभाग की वित्त (आबकारी) विभाग ने पत्रावली संख्या प. 4(5) एफडी/ई/2012 पार्ट की आईडी संख्या 241700063 दिनांक 06.02.2017 के द्वारा उक्त प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने पर सहमत है।)

राज्यपाल की आज्ञा से,

(देवेन्द्र दीक्षित) 9/2/17
विशिष्ठ शासन सचिव गृह (विधि)

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक माननीय गृहमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय भवन, जयपुर।
7. महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. पुलिस आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर।
9. आबकारी आयुक्त, उदयपुर।
10. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जयपुर।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
13. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की परिधि में आनेवाले प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के लिए संबंधित अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी को निर्देशित करें एवं की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करावें।

9-2-17
अनुभागाधिकारी